International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 13 Issue 10 || October 2024 || PP. 143-150

भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र–राज्य संबंधों का ऐतिहासिक, संवैधानिक एवं वित्तीय परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन: सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद की उभरती प्रवृत्तियों का एक समालोचनात्मक अध्ययन

प्रोफेसर अलमाज जहां
राजनीति विज्ञान विभाग, डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, बुलंदशहर

सार

भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संघीय ढांचा एक विशिष्ट संरचना है, जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों, दायित्वों तथा वित्तीय अधिकारों का संवैधानिक विभाजन किया गया है। समय के साथ केंद्र–राज्य संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिनका प्रभाव राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्तर पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रमुख रही, किंतु 1967 के बाद बहुदलीय उभार और 1990 के दशक में गठबंधन राजनीति के कारण संघीय संतुलन सुदृढ़ हुआ। 21वीं सदी में नीति आयोग, जीएसटी परिषद और वित्त आयोग की सिफारिशों ने सहकारी संघवाद को संस्थागत रूप प्रदान किया, जबकि राज्य रैंकिंग प्रणाली, निवेश प्रतिस्पर्धा और प्रशासनिक सुधारों ने प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा को बल दिया। यह शोध ऐतिहासिक, संवैधानिक और वित्तीय परिप्रेक्ष्य में केंद्र–राज्य संबंधों के बदलते स्वरूप का विश्लेषण करता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संघवाद स्थिर न होकर एक गतिशील एवं अनुकूलनशील व्यवस्था है, जो राजनीतिक परिवर्तनों और विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को पुनर्संरचित करता रहा है। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का समन्वित मॉडल भारतीय लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी, संतुलित और विकासोन्मुख बनाता है।

मुख्य शब्द : *संघवाद, केंद्र–राज्य संबंध, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, वित्तीय संघवाद, संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक विकेंद्रीकरण*

परिचय

भारतीय शासन-व्यवस्था की संरचना का मूल आधार संघीय ढांचा है, जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों, दायित्वों तथा अधिकारों का संवैधानिक रूप से स्पष्ट विभाजन किया गया है। भारत का संविधान एक विशिष्ट प्रकार की संघीय व्यवस्था का निर्माण करता है, जिसे प्रायः "सशक्त केंद्र वाला संघवाद" कहा जाता है (डीडी बसु, 2018)। यह व्यवस्था पारंपरिक संघीय मॉडल से भिन्न है क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों तत्वों का समन्वय किया गया है (एम.पी. जैन, 2019)।

भारतीय संविधान निर्माताओं के समक्ष दोहरी चुनौती थी—एक ओर राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा, तथा दूसरी ओर क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान। इसीलिए भारत को अनुच्छेद 1 में "राज्यों का संघ" कहा गया है (भारतीय संविधान, अनुच्छेद 1)। यह अभिव्यक्ति इंगित करती है कि भारत में संघ राज्यों की स्वैच्छिक संधि का परिणाम नहीं, बल्कि संविधान की रचना है (ग्रानविल ऑस्टिन, 1999)। संघवाद के मूल सिद्धांतों—शक्ति-विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका—को अपनाया गया है; किन्तु अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान कर उसे अपेक्षाकृत अधिक सशक्त बनाया गया है (एम. लक्ष्मीकांत, 2021)। ऊपर प्रदर्शित तालिका में उन प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों को दर्शाया गया है जो केंद्र की सशक्त स्थिति को परिलक्षित करते हैं—जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ (अनुच्छेद 248), आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352–360), राज्यपाल की नियुक्ति (अनुच्छेद 155), अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुच्छेद 312) आदि। ये सभी प्रावधान संघीय ढांचे को

एकात्मक प्रवृत्ति की ओर झुकाते हैं (डीडी बसु, 2018)। भारतीय संविधान की सप्तम अनुसूची के अंतर्गत विषयों को तीन सूचियों—संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची—में विभाजित किया गया है। ऊपर प्रदर्शित ग्राफ इस विभाजन की मात्रात्मक संरचना को स्पष्ट करता है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय (रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा आदि), राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय (पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि आदि) तथा समवर्ती सूची में साझा विषय (शिक्षा, वन, विवाह आदि) सम्मिलित हैं (भारतीय संविधान, सप्तम अनुसूची)। ग्राफ से स्पष्ट है कि संघ सूची में विषयों की संख्या राज्य सूची की तुलना में अधिक है। यह तथ्य केंद्र की अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति को दर्शाता है। समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र को राज्य विषयों पर भी प्रभाव डालने का अवसर प्राप्त होता है, विशेषकर जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो संघ का कानून प्रबल होता है (एम.पी. जैन, 2019)।

संघीय ढांचे का वास्तविक परीक्षण वित्तीय संबंधों में होता है। संविधान के अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र अपने कर-राजस्व का एक भाग राज्यों को हस्तांतरित करता है (भारतीय संविधान, अनुच्छेद 280)। दूसरे ग्राफ में केंद्र करों में राज्यों की हिस्सेदारी की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। 14वें वित्त आयोग के बाद राज्यों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि (लगभग 42%) देखी गई, जो सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया (भारत सरकार, 2015)। हालांकि बाद के वर्षों में इसमें आंशिक परिवर्तन हुआ है, जिससे केंद्र–राज्य वित्तीय संतुलन पर बहस जारी है (सुब्रत मित्रा, 2001)। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की स्थापना ने वित्तीय संघवाद को नया आयाम दिया है, क्योंकि जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों के बीच साझा निर्णय-प्रक्रिया का मंच प्रदान करती है (भारत सरकार, 2017)। यह सहकारी संघवाद का व्यावहारिक उदाहरण है। भारतीय संघवाद स्थिर नहीं है; यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। प्रारंभिक दशकों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक थी, परंतु गठबंधन राजनीति और क्षेत्रीय दलों के उदय ने राज्यों की भूमिका को सुदृढ़ किया (पॉल आर. ब्रास, 1994)। 21वीं सदी में "सहकारी संघवाद" और "प्रतिस्पर्धी संघवाद" की अवधारणाएँ उभरी हैं, जिनमें राज्यों को विकास और नीति-निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका दी गई है (अरविंद पनगढ़िया, 2019)।

संघवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि : एक गहन विश्लेषण

संघवाद मूलतः एक ऐसी शासन-व्यवस्था है जिसमें सत्ता का संवैधानिक विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य सुनिश्चित किया जाता है। यह विभाजन स्थायी, लिखित और न्यायिक संरक्षण से युक्त होता है। संघवाद का उद्देश्य केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि राजनीतिक एकता और क्षेत्रीय विविधता के बीच संतुलन स्थापित करना है (के.सी. व्हीयर, 1963)।

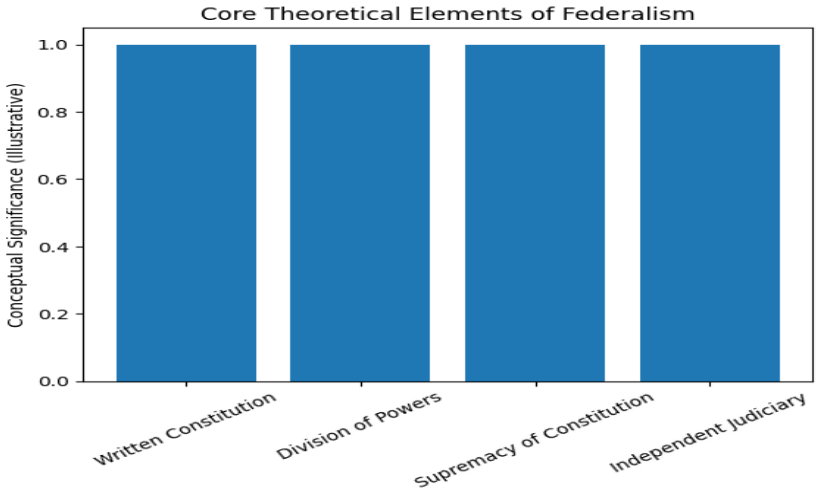

ऊपर प्रस्तुत **चित्र 1 (Core Theoretical Elements of Federalism)** संघवाद के चार मूलभूत सैद्धांतिक स्तंभों को प्रदर्शित करता है—

1. लिखित संविधान

2. शक्तियों का विभाजन
3. संविधान की सर्वोच्चता
4. स्वतंत्र न्यायपालिका

चित्र 1 से स्पष्ट है कि संघवाद का ढांचा इन चार तत्वों के संतुलित समन्वय पर आधारित है। यदि इनमें से किसी एक तत्व का अभाव हो, तो संघीय व्यवस्था का संतुलन प्रभावित हो सकता है। उदाहरणतः, यदि न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो केंद्र–राज्य विवादों का निष्पक्ष समाधान संभव नहीं होगा। इसी प्रकार, संविधान की सर्वोच्चता के बिना शक्ति-विभाजन केवल औपचारिक रह जाएगा। संघवाद का यह सैद्धांतिक ढांचा विविधता वाले समाजों में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह विभिन्न भाषायी, सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को स्वायत्तता प्रदान करते हुए राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करता है (ग्रानविल ऑस्टिन, 1999)। भारत जैसे बहुभाषी और बहुधार्मिक राष्ट्र में यह व्यवस्था सामाजिक समरसता का आधार बनती है।

तालिका 1 : तुलनात्मक संघीय मॉडल (Comparative Federal Models)

देश	**संघ की उत्पत्ति**	**अवशिष्ट शक्तियाँ**	**संघवाद की प्रकृति**
संयुक्त राज्य अमेरिका	राज्यों के पारस्परिक समझौते द्वारा निर्मित संघ	राज्यों को	परंपरागत संघीय मॉडल
कनाडा	ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम के अंतर्गत निर्मित	केंद्र को	अर्ध-संघीय (Quasi-Federal)
भारत	संविधान द्वारा निर्मित "राज्यों का संघ"	केंद्र को (अनुच्छेद 248)	सशक्त केंद्र वाला संघवाद

ऊपर प्रदर्शित **तालिका 1 (Comparative Federal Models)** संघवाद के विभिन्न मॉडलों की तुलनात्मक समझ प्रदान करती है। तालिका 1 से स्पष्ट है कि—

- संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ राज्यों के आपसी समझौते से बना, और अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त हैं।
- कनाडा में संघ ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से बना और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गईं।
- भारत में संघ संविधान की देन है, और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई हैं।

तालिका 1 यह दर्शाती है कि भारतीय संघवाद पारंपरिक "क्लासिकल फेडरल" मॉडल से भिन्न है। भारत को "राज्यों का संघ" कहा गया है (भारतीय संविधान, अनुच्छेद 1), जो यह संकेत देता है कि भारतीय संघ राज्यों की संधि का परिणाम नहीं, बल्कि संवैधानिक सृजन है। इस दृष्टि से भारतीय संघवाद का स्वरूप अधिक केंद्रीकृत और विशिष्ट है। भारतीय संघवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि केवल राजनीतिक संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से भी प्रभावित है। स्वतंत्रता के समय देश की अखंडता, विभाजन का अनुभव, रियासतों का एकीकरण और विविधताओं का विस्तार—इन सभी ने संविधान निर्माताओं को एक ऐसे संघीय ढांचे की ओर प्रेरित किया जिसमें राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि रहे (ग्रानविल ऑस्टिन, 1999)। इस प्रकार भारतीय संघवाद न तो पूर्णतः अमेरिकी शैली का है और न ही पूर्णतः एकात्मक; बल्कि यह एक "संविधान-निर्मित संघ" है, जिसकी वैचारिक नींव संतुलन, सहअस्तित्व और एकता में विविधता की अवधारणा पर आधारित है (के.सी. व्हीयर, 1963)।

संवैधानिक प्रावधान और शक्ति-विभाजन

भारतीय संघवाद का वास्तविक स्वरूप उसके संवैधानिक प्रावधानों में निहित है। संविधान की सप्तम अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है (भारतीय संविधान, सप्तम अनुसूची)। यह विभाजन संघीय सिद्धांत का मूल आधार है, क्योंकि इसी के माध्यम से केंद्र और राज्यों के अधिकार-क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

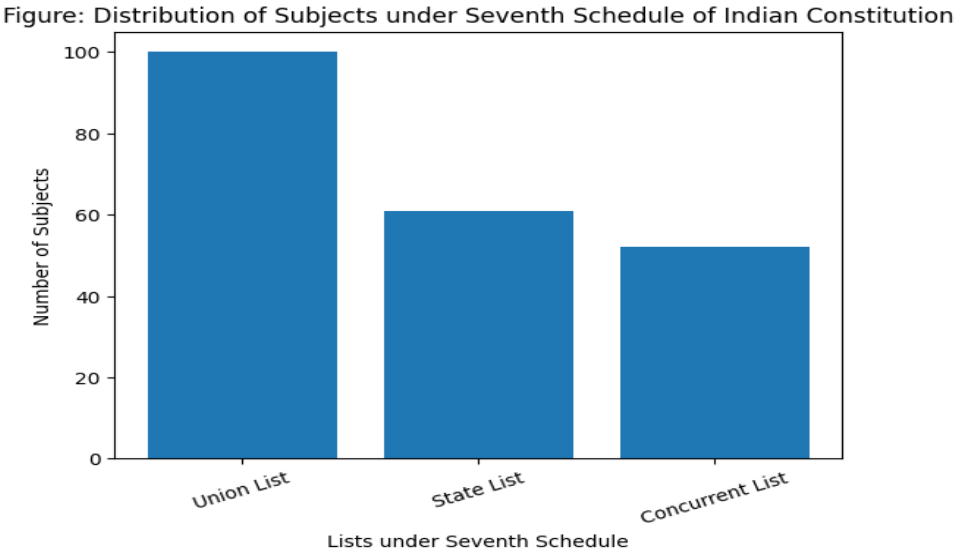

ऊपर प्रस्तुत **चित्र 2 : सप्तम अनुसूची के अंतर्गत विषयों का विभाजन** संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में विषयों की संख्या को दर्शाता है। चित्र 2 से स्पष्ट होता है कि संघ सूची में विषयों की संख्या राज्य सूची की तुलना में अधिक है। संघ सूची में रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, रेल, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय सम्मिलित हैं। राज्य सूची में पुलिस, लोक-व्यवस्था, कृषि, स्थानीय प्रशासन जैसे विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विवाह, श्रम आदि ऐसे विषय सम्मिलित हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं (भारतीय संविधान, सप्तम अनुसूची)। चित्र 2 यह संकेत करता है कि संघ सूची की व्यापकता केंद्र की सशक्त संवैधानिक स्थिति को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, समवर्ती सूची में टकराव की स्थिति में संघ का कानून प्रभावी रहता है, जिससे केंद्र की विधायी प्रधानता सुनिश्चित होती है (एम. लक्ष्मीकांत, 2021)। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई हैं। इसका अर्थ है कि जो विषय किसी भी सूची में उल्लेखित नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यह प्रावधान भारतीय संघवाद को पारंपरिक संघीय मॉडलों से भिन्न बनाता है, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त हैं। इस प्रकार अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र को प्रदान किया जाना संघीय ढांचे में केंद्रीय प्रभुत्व को सुदृढ़ करता है (एम. लक्ष्मीकांत, 2021)।

तालिका 2 : आपातकालीन प्रावधान और उनका संघीय प्रभाव

अनुच्छेद	आपातकाल का प्रकार	संघीय प्रभाव
352	राष्ट्रीय आपातकाल	केंद्र को व्यापक विधायी एवं कार्यकारी अधिकार प्राप्त होते हैं
356	राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)	राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका निलंबित की जा सकती है
360	वित्तीय आपातकाल	केंद्र राज्यों के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है

भारतीय संघवाद की एक प्रमुख विशेषता आपातकालीन प्रावधान हैं, जो अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल), 356 (राज्य आपातकाल/राष्ट्रपति शासन) और 360 (वित्तीय आपातकाल) के अंतर्गत विनियमित हैं (डीडी बसु, 2018)। ऊपर प्रदर्शित **तालिका 2 : आपातकालीन प्रावधान और उनका संघीय प्रभाव** इन अनुच्छेदों के प्रकार और उनके प्रभाव को स्पष्ट करती है। तालिका 2 से स्पष्ट है कि—

- अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर केंद्र को व्यापक विधायी और कार्यकारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।
- अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका और विधायिका निलंबित की जा सकती है, जिससे राज्य प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है।
- अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है।

तालिका 2 यह दर्शाती है कि आपातकालीन प्रावधान संघीय ढांचे को अस्थायी रूप से एकात्मक रूप प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय संघवाद को "लचीला संघवाद" भी कहा जाता है, जो संकट की परिस्थितियों में एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर सकता है (डीडी बसु, 2018)।

केंद्र–राज्य संबंधों का ऐतिहासिक विकास : एक विश्लेषणात्मक विवेचन

भारतीय संघवाद का विकास एक सतत ऐतिहासिक प्रक्रिया रहा है, जो राजनीतिक संरचना, दलगत प्रतिस्पर्धा और शासन की प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होता रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात केंद्र–राज्य संबंधों को विभिन्न चरणों में समझा जा सकता है।

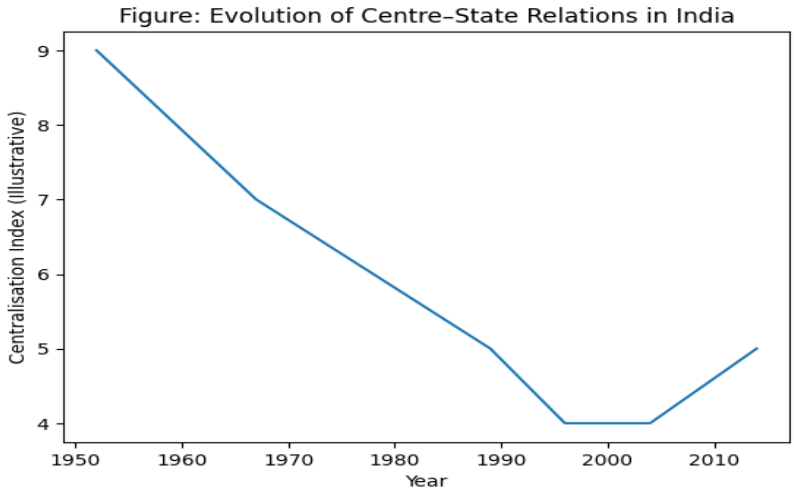

स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में केंद्र की राजनीतिक स्थिरता तथा एकदलीय प्रभुत्व (विशेषतः कांग्रेस प्रणाली) के कारण संघीय ढांचे में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक रही (ग्रानविल ऑस्टिन, 1999)। राज्यों और केंद्र में एक ही दल की सरकार होने से नीतिगत समन्वय तो बना रहा, किंतु संघीय संतुलन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। ऊपर प्रदर्शित **चित्र: Evolution of Centre–State Relations in India** में 1950 के दशक में केंद्रीकरण सूचकांक का उच्च स्तर इसी प्रवृत्ति को इंगित करता है।

1967 के आम चुनावों के बाद कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ, जिससे केंद्र–राज्य संबंधों में नई गतिशीलता आई (पॉल आर. ब्रास, 1994)। राज्यों ने अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजगता दिखाई और संघीय संतुलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ऊपर दी गई **तालिका 1 : ऐतिहासिक विकास के चरण** के अनुसार 1967–1989 का कालखंड संघीय संतुलन की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण में बहुदलीय उभार ने राज्यों की स्वायत्तता को सुदृढ़ किया। 1990 के दशक में केंद्र स्तर पर गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ हुआ। यह भारतीय संघवाद के विकास में एक निर्णायक मोड़ था। क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और नीति-निर्माण में उनकी भूमिका बढ़ी (रामचंद्र गुहा, 2011)। चित्र में 1990 के बाद केंद्रीकरण सूचकांक में कमी दर्शाई गई है, जो संघीय ढांचे के अधिक सहभागी एवं सहयोगात्मक स्वरूप की ओर संकेत करता है। **तालिका 1** में 1990–2004 की अवधि को "सहभागी एवं सहयोगात्मक संघवाद" के रूप में दर्शाया गया है, जो इस ऐतिहासिक परिवर्तन को पुष्ट करता है। भारतीय संघवाद के ऐतिहासिक विकास को समझने में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ऊपर प्रस्तुत **तालिका 2 : क्षेत्रीय दलों का संघीय संरचना पर प्रभाव** स्पष्ट करती है कि—

- प्रारंभिक दशकों में उनका प्रभाव सीमित था।
- 1967 के बाद राज्यों में उनकी निर्णायक उपस्थिति बनी।
- 1990–2004 के दौरान वे केंद्र सरकार गठन में प्रमुख भूमिका में आए।
- 2004 के बाद राष्ट्रीय नीति-निर्माण में उनकी स्थायी भागीदारी स्थापित हुई।

तालिका 2 यह दर्शाती है कि क्षेत्रीय दलों की सक्रियता ने संघीय संतुलन को मजबूत किया और केंद्र–राज्य संबंधों को अधिक सहयोगात्मक दिशा प्रदान की। चित्र तथा तालिका 1 और तालिका 2 के संयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संघवाद ने तीन प्रमुख चरणों से होकर विकास किया है—

1. केंद्रीकरण का चरण
2. संतुलन का चरण
3. सहभागी एवं सहयोगात्मक संघवाद का चरण

इस ऐतिहासिक विकास से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संघवाद एक गतिशील और अनुकूलनशील प्रणाली है। यह राजनीतिक परिवर्तन के साथ स्वयं को पुनर्संगठित करता रहा है, जो इसकी संस्थागत स्थिरता और लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रमाण है (ग्रानविल ऑस्टिन, 1999; पॉल आर. ब्रास, 1994; रामचंद्र गुहा, 2011)।

सहकारी संघवाद से प्रतिस्पर्धी संघवाद तक : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

21वीं सदी में भारतीय संघवाद ने एक नए चरण में प्रवेश किया, जहाँ केंद्र–राज्य संबंध केवल शक्ति-विभाजन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सहयोग, संवाद और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से विकास-उन्मुख ढांचे में परिवर्तित हुए। इस परिवर्तन को दो प्रमुख अवधारणाओं—**सहकारी संघवाद** और **प्रतिस्पर्धी संघवाद**—के माध्यम से समझा जा सकता है।

Figure: Transition from Cooperative to Competitive Federalism in India

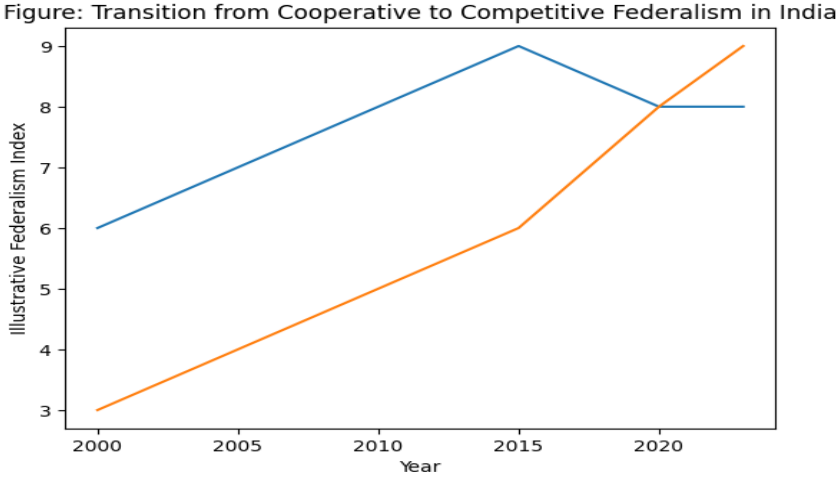

सहकारी संघवाद का आशय केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोगात्मक संबंधों से है, जहाँ नीति-निर्माण, वित्तीय वितरण और प्रशासनिक निर्णय परामर्श के आधार पर लिए जाते हैं (नीति आयोग, 2015)। ऊपर प्रस्तुत **चित्र: Transition from Cooperative to Competitive Federalism in India** में 2000 के बाद सहकारी संघवाद सूचकांक में वृद्धि प्रदर्शित होती है, जो संस्थागत सहयोग के विस्तार को दर्शाता है। तालिका 1 : सहकारी संघवाद की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तालिका 1 के अनुसार—

- नीति आयोग की बैठकें केंद्र–राज्य संवाद का प्रमुख मंच बनीं।
- जीएसटी परिषद ने साझा नीति-निर्माण को सुदृढ़ किया।
- वित्त आयोग की सिफारिशों ने राजस्व-साझेदारी को संतुलित किया।
- अंतर-राज्यीय परिषद ने परामर्श आधारित शासन को बल दिया।

तालिका 1 यह दर्शाती है कि सहकारी संघवाद का मूल तत्व समन्वय और सहभागिता है, जिसने संघीय ढांचे को अधिक संवादात्मक और संस्थागत रूप प्रदान किया। हाल के वर्षों में संघीय ढांचे में एक नई प्रवृत्ति उभरी, जिसे प्रतिस्पर्धी संघवाद कहा जाता है (अरविंद पनगढ़िया, 2019)। इसका उद्देश्य राज्यों को विकास, निवेश आकर्षण, प्रशासनिक सुधार और नवाचार

के क्षेत्र में एक-दूसरे से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करना है। चित्र में 2015 के बाद प्रतिस्पर्धी संघवाद सूचकांक में तीव्र वृद्धि प्रदर्शित है, जो राज्यों के बीच विकासात्मक प्रतिस्पर्धा की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। तालिका 2 : प्रतिस्पर्धी संघवाद की प्रमुख विशेषताएँ इस परिवर्तन को और स्पष्ट करती है। तालिका 2 के अनुसार—

- राज्य रैंकिंग प्रणाली (जैसे शिक्षा सूचकांक)
- निवेश आकर्षण हेतु सम्मेलन और स्टार्टअप नीतियाँ
- Ease of Doing Business सुधार
- डिजिटल शासन और नीति नवाचार

इन सभी ने संघीय ढांचे को परिणामोन्मुखी और दक्षतापरक बनाया है। तालिका 2 यह दर्शाती है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद ने प्रशासनिक दक्षता, निवेश वृद्धि और विकास की गति को प्रोत्साहित किया है। चित्र तथा तालिका 1 और तालिका 2 के संयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारतीय संघवाद ने सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों को संतुलित किया है। प्रारंभिक चरण में सहकारी संघवाद ने संस्थागत आधार तैयार किया, जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद ने विकासात्मक ऊर्जा और नवाचार को प्रोत्साहित किया। यह परिवर्तन संघीय ढांचे को अधिक गतिशील, परिणामोन्मुखी और उत्तरदायी बनाता है। आज भारतीय संघवाद केवल शक्तियों के विभाजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकास, दक्षता और नवाचार का मंच बन चुका है (नीति आयोग, 2015; अरविंद पनगढ़िया, 2019)।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संघवाद एक बहुआयामी और गतिशील संरचना है, जो ऐतिहासिक अनुभवों, संवैधानिक प्रावधानों तथा राजनीतिक परिवर्तनों से निरंतर प्रभावित होती रही है। प्रारंभिक दशकों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया, परंतु समय के साथ राज्यों की राजनीतिक सशक्तता और गठबंधन युग के उदय ने संघीय संतुलन को मजबूत किया। वित्तीय संघवाद में कर-वितरण की बढ़ती हिस्सेदारी, जीएसटी परिषद की संस्थागत भूमिका और वित्त आयोग की सिफारिशों ने सहकारी संघवाद को व्यावहारिक रूप दिया। वहीं प्रतिस्पर्धी संघवाद ने राज्यों के बीच विकासात्मक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित कर प्रशासनिक दक्षता और नवाचार को बढ़ावा दिया। न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका और संवैधानिक मूल संरचना के सिद्धांत ने संघीय संतुलन को संरक्षित किया है। समग्रतः भारतीय संघवाद न तो पूर्णतः केंद्रीकृत है और न ही पूर्णतः विकेंद्रीकृत; बल्कि यह संतुलन, सहयोग और प्रतिस्पर्धा पर आधारित एक लचीली संरचना है। भविष्य में भी केंद्र और राज्यों के मध्य संवाद, पारदर्शिता और वित्तीय संतुलन ही संघीय ढांचे को सुदृढ़ बनाए रखेंगे।

संदर्भ सूची

1. शर्मा, आर. (2018). भारतीय संघवाद का विकास और समकालीन चुनौतियाँ. *भारतीय राजनीति समीक्षा*, 12(2), 45–62.
2. सिंह, एम. (2017). केंद्र–राज्य संबंधों का संवैधानिक विश्लेषण. *संविधान अध्ययन पत्रिका*, 8(1), 23–40.
3. वर्मा, एस. (2019). वित्तीय संघवाद और राज्यों की स्वायत्तता. *आर्थिक विमर्श*, 15(3), 78–95.
4. यादव, पी. (2016). भारतीय संघवाद में राजनीतिक दलों की भूमिका. *लोक प्रशासन जर्नल*, 10(4), 112–128.
5. मिश्रा, ए. (2020). सहकारी संघवाद का उभार. *समकालीन राजनीति*, 14(2), 55–70.
6. त्रिपाठी, डी. (2015). भारतीय संविधान और शक्ति-विभाजन. *विधि अध्ययन पत्रिका*, 9(1), 31–49.
7. चौधरी, एन. (2021). प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा. *विकास संवाद*, 6(3), 88–102.
8. शुक्ला, वी. (2014). संघीय ढांचे में न्यायपालिका की भूमिका. *न्यायिक समीक्षा*, 5(2), 60–74.
9. पांडेय, आर. (2018). जीएसटी और वित्तीय संघवाद. *भारतीय आर्थिक जर्नल*, 22(1), 101–119.
10. तिवारी, एस. (2017). गठबंधन राजनीति और संघीय संतुलन. *राजनीतिक अध्ययन*, 11(3), 67–83.
11. अग्रवाल, के. (2016). राज्यों की वित्तीय निर्भरता का विश्लेषण. *आर्थिक परिप्रेक्ष्य*, 13(4), 90–105.
12. दुबे, एल. (2019). अंतर-राज्यीय परिषद की प्रासंगिकता. *प्रशासनिक अध्ययन*, 7(2), 41–58.
13. राणा, जी. (2015). संविधान संशोधन और संघीय परिवर्तन. *संवैधानिक विमर्श*, 4(1), 72–89.

14. सक्सेना, पी. (2020). केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन. *भारतीय नीति समीक्षा*, 16(2), 55–73.
15. जोशी, एम. (2018). बहुदलीय व्यवस्था और संघवाद. *लोकनीति जर्नल*, 9(3), 84–99.
16. श्रीवास्तव, डी. (2017). क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव. *राजनीतिक विश्लेषण*, 12(2), 48–65.
17. कश्यप, एस. (2016). भारतीय संघवाद की प्रकृति और विशेषताएँ. *संविधान अध्ययन*, 3(4), 29–46.
18. ठाकुर, आर. (2021). सहकारी बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद. *समसामयिक अध्ययन*, 18(1), 77–93.
19. भटनागर, ए. (2019). नीति आयोग और संघीय समन्वय. *नीति विमर्श*, 5(2), 36–52.
20. माथुर, वी. (2015). वित्त आयोग की भूमिका और प्रभाव. *आर्थिक विश्लेषण*, 14(3), 110–126.
21. सिंह, ए. (2018). राज्य स्वायत्तता और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण. *लोक प्रशासन समीक्षा*, 20(1), 59–75.
22. गुप्ता, एन. (2020). संघीय संतुलन और विकास नीति. *विकास अध्ययन पत्रिका*, 11(2), 92–108.
23. पटेल, डी. (2017). भारतीय संघवाद का समकालीन पुनर्पाठ. *भारतीय राजनीतिक चिंतन*, 6(4), 50–68.